लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** द्वारा प्रमाणित संस्था)

समतामूलक चौक पर

वर्ष 2019 के प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को प्रातः काल

"राहगीरी कार्यक्रम"

आयोजित करने की शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर......................हमारा संकल्प

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** प्रमाणित संस्था)

रूचि की अभिव्यक्ति (**Expression of Intrest**) का आवेदन एवं नियम व शर्ते :–

कार्य का नाम– वर्ष 2019 समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल तक के मध्य सड़क पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को प्रातः काल ''राहगीरी कार्यक्रम'' आयोजित करने का कार्य।

1. कार्यक्रम आयोजित करने की अवधि 01 वर्ष होगी।
2. एजेन्सी को उपरोक्त कार्य करने हेतु टू–बिड सिस्टम के माध्यम से आवेदन करना होगा। तकनीकी बिड तथा प्राइज बिड पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने होगे।
3. सभी प्रस्तावकों को दिनांक 24.01.2019 को कमेटी के समक्ष प्रातः 11 बजे प्रस्तुतीकरण देना होगा। प्रस्तुतीकरण में सफल तथा तकनीकी रूप से सक्षम एजेन्सियों का ही प्राइज बिड खोला जाएगा।
4. एजेन्सी को मासिक बिल अथवा दो कार्यक्रमों के बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
5. चयनित एजेन्सी द्वारा स्थल पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
6. यातायात नियन्त्रण एवं डायवर्जन कराना जिससे कार्यक्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
7. कार्यक्रम को सफल एवं लोकप्रिय बनाने हेतु रेडियो मिर्ची, समाचार पत्र, होर्डिंग द्वारा एवं व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम प्रचार प्रसार करने का दायित्व भी एजेन्सी का होगा।
8. प्राथमिक चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सुविधा भी एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।
9. कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन, जल संरक्षण तथा सरकार द्वारा प्रचलित नितियों से जन–सामान्य को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी एजेन्सी की होगी।
10. एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेम प्लेट एवं आई कार्ड सहित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही के दण्ड का उत्तरदायित्व संचालक एजेन्सी का होगा।
11. एजेन्सी को रु0 50,000 (पचास हजार) मात्र धरोहर राशि एफ0डी0आर0 (जो कि सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक हो) के रुप में जमा करने होगें।
12. एजेन्सी को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
13. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को बिना किसी कारण के कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
14. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम में पूर्ण प्रशासनिक सहयोग किया जाएगा।
15. एजेन्सी को सहयोगी संस्थाओं से स्पान्शरशिप कराने का अधिकार होगा लेकिन इसकी सूचना प्राधिकरण को देनी होगी तथा बैनर अथवा होर्डिंग पर लोगो या स्पान्शर्ड का नाम प्राधिकरण की सहमति से लिखना होगा।
16. कार्यक्रम किसी भी दशा में असफल होने से एजेन्सी को उस कार्यक्रम का भुगतान नही किया जाएगा।

17. बिल के साथ किए गए कार्यक्रम के रंगीन फोटोग्राफ हार्ड कापी तथा साफ्ट कॉपी में प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होगें।

18. एजेन्सी कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल से शुल्क वसूली कर सकता है। उसका विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।

19. कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात में सफाई का दायित्व प्राधिकरण का होगा। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा कर्मी प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाएगे लेकिन व्यवस्था संचालन का पूर्ण दायित्व एजेन्सी का होगा।

20. कार्यक्रम आयोजन का समय ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 6.00 बजे से 8.00 तक तथा शरद ऋतु में प्रातः 7.00 बजे से 9.00 तक होगा। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(एस0पी0 शिशौदिया)
उप निदेशक (उद्यान)

उपरोक्त वर्ष 2019 समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल तक के मध्य सड़क पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को ''राहगीरी कार्यक्रम'' आयोजित करने का कार्य हेतु मैने 1 से 20 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन एवं समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹................................... शब्दो में .... प्रति कार्यक्रम की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बिडदाता
नाम–
दूरभाष संख्या–

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक :– 1289/उप निदेशक(उ.)/18 दिनांक :– 02/01/2019

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

वर्ष 2019 समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल तक के मध्य सड़क पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को प्रातः काल ''राहगीरी कार्यक्रम'' आयोजित करने के कार्य हेतु इच्छुक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं से निम्नानुसार रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव टू–बिड के आधार पर दिनांक 21.01.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक उप निदेशक (उद्यान) कार्यालय के निविदा बाक्स में प्राप्त किए जाएगें। प्रस्ताव के साथ 50,000.00 (रू0 पचास हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक एफ0डी0आर0 सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करना होगा।

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
01	समिति के समक्ष राहगीरी कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोरंजक गतिविधियॉ जैसे जुम्बा/एरोबिक डांस, साइकिलिंग, नेट क्रिकेट, बोर्ड पेंटिंग, योग, बास्केट बॉल तथा अन्य विविध प्रकार की गतिविधियॉ जिससे जनसामान्य के प्रत्येक वर्ग एवं आयु के व्यक्ति लाभान्वित हो आयोजित कराने हेतु प्रस्तुतीकरण।	17.01.2019	प्रातः 11:00 बजे	मसऊद हॉल, प्राधिकरण मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक उप निदेशक (उद्यान) कार्यालय/www.ldaonline.com प्राधिकरण की वैबसाईट पर देखे जा सकते है।

मुख्य अभियन्ता

2/1/19